# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्याः टी.ए. 19/2022**

**पंजीयन दिनांकः 13.05.2022**

1. कालु पिता ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. गोपाल पिता ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. प्रहलाद पिता ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. रामेश्वर पिता ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. रामी पत्नि ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. लेहरी पत्नि ऊंकार जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

**–अपीलान्टगण**

**बनाम**

1. भेरू पिता देवा जाति गुर्जर निवासी रायपुरिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

**–रेस्पोडन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 5/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.04.22

**उपस्थित वक्त बहस**

1. छोगालाल जाट- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चम्पालाल जाट-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट- 1
3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

**निर्णय** **दिनांक 05.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात मोजा रायपुरिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 190,191 अवस्थित है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की आराजीयात पर आने-जाने कृषि फसल लाने-जाने व मवेशी

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

जाने-जाने हेतु आम रास्ता, आराजी नम्बर 202 रास्ता से होकर आम रास्ते के पश्चिम दिशा मे अपीलान्टगण विपक्षीगण की कृषि आराजी नम्बर 198 के दक्षिण दिशा मे होकर आराजी नम्बर 199 के दक्षिण दिशा मे 15 फीट चौडै रास्ते से रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी अपनी कृषि आराजी नम्बर 190 मे प्रवेश कर अपनी कृषि आराजीयात पर आता-जाता है। उक्त मौजुदा रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट प्रार्थी बेलगाडी ट्रैक्टर मवेशी लाते ले जाते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की कृषि आराजीयात मे आने-जाने कृषि उपकरण ट्रैक्टर बेलगाडी लाने-जाने एवं कृषि ऊपज लाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात मे करीबन 40 वर्षो से आ-जा रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात मे खेती का कार्य करने जा रहा था, लेकिन अपीलान्टगण विपक्षीगण ने रास्ता रोक दिया व धमकी दी की उक्त रास्ता हमारे खातेदारी मे है हम आने-जाने नही देगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की ओर से अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीग ण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अपनी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 202,198,199 पर कभी कोई रास्ता नही रहा है ना ही कोई रास्ता वर्तमान मे मौके पर मौजुद है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने काल्पनिक तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के जवाब प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज कर मौका रिपोर्ट के आधार पर जिसमे वैकल्पिक रास्ता अंकित था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने आराजी नम्बर 195 मे से 0.025 हैक्टेयर आराजी नम्बर 196 रकबा 0.025 हैक्टेयर आराजी नम्बर 198 मे से रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया। आराजी नम्बर 190,191 की पश्चिमी सीमा पर पूर्व से ही रास्ता मौजुद है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मौके पर रास्ता मौजुद होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नवीन रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 प्रार्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की कृषि आराजीधात पर आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता होते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे तहसीलदार गंगरार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ तहसीलदार गंगरार कमिश्नर के द्वारा अपीलान्टगण विपक्षीगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई, जिस पर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर दिनांक 09.12.2021 को अपीलान्टगण विपक्षीगण की अनुपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 25.02.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की जाकर अपीलान्टगण विपक्षीगण को सुने बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं.1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने जाने का रास्ता नही होने से अपीलान्टगण विपक्षीगण की कृषि आराजीयात की मेड पर रास्ता दिलाये जाने का आवेदन अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन का अपीलान्टगण विपक्षीगण सहखातेदारान ने अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार गंगरार द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद होते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.10.2021 को अपीलान्टगण विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिस पर दिनांक 25.02.2022 को तहसीलदार गंगरार के द्वारा अपीलान्टगण विपक्षीगण के आवेदन पर पुनः मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। उसके पश्चात् उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। उक्त आदेश विधिसम्मत आदेश है। अपीलान्टगण विपक्षीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर वैकल्पिक रास्ता नही होते हुए वैकल्पिक रास्ता होना बताते हुए अपील प्रस्तुत की है, जिससे अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.04.2022 जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आने-जाने हेतु रास्ता नही होने से रास्ता दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार गंगरार के द्वारा उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जिसमे भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 190,191 पर आने-जाने का रास्ता आराजी नम्बर 195,196 की दक्षिणी मेड पर होना व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना अंकित किया है। उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलान्टगण विपक्षीगण की अनुपस्थिति मे बिना सूचना के तहसीलदार गंगरार के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से तैयार करवाई जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है, जिससे पुनः अपीलान्टगण विपक्षीगण की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तलब कराई जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान को सूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी की आराजी नम्बर 190 व 191 पर आने-जाने का वैकल्पिक रास्ता नही होना मानते हुए आराजी नम्बर 195,196,198 की मेड पर खातेदारान को क्षतिपूर्ति राशि दिलाते हुए रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत व अत्यान्तिक आवश्यक होना पाया जाता है, जिससे अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण विपक्षीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार प्रकरण संख्या 05/2021 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 29.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लोटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)